

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन,
भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “भत्तों” के अन्तर्गत, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11)के अधीन किसी मन्त्री को अनुज्ञेय दैनिक भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता, सत्कार भत्ता, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता या कोई अन्य भत्ता है;
- (ख) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सम्बन्ध में “मुख्य सचेतक” से, विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जिसे बहुमत प्राप्त दल द्वारा, तत्समय उस दल का मुख्य सचेतक घोषित किया गया है, जिसने सरकार का गठन किया है और जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है;
- (ग) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सम्बन्ध में, “उप मुख्य सचेतक” से, विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जिसे बहुमत प्राप्त दल द्वारा, तत्समय उस दल का उप मुख्य सचेतक घोषित किया गया है, जिसने सरकार का गठन किया है और जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है;
- (घ) “सरकार” या “राज्य सरकार” से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) “मन्त्री” से, मन्त्रिपरिषद् का सदस्य अभिप्रेत है चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;
- (च) “अधिसूचना” से, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (छ) “धारा” से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ज) “अध्यक्ष” से, हिमाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और
- (झ) “राज्य” से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

3. वेतन और भत्ते.—(1) मुख्य सचेतक, उसी दर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के केबिनेट मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

(2) उप मुख्य सचेतक, उसी दर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के राज्य मन्त्री को अनुज्ञेय है।

4. आवास.—(1) मुख्य सचेतक को, यथास्थिति, ऐसी आवासीय सुविधाएं या भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के केबिनेट मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

(2) उप मुख्य सचेतक को, यथास्थिति, ऐसी आवासीय सुविधाएं या भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के राज्य मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

5. अन्य प्रसुविधाएं.—मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक, ऐसी अन्य प्रसुविधाओं जैसे, रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा, मोटर कार के क्रय के लिए अग्रिम ऋण, गृह निर्माण अग्रिम और मुफ्त टेलीफोन का निःशुल्क स्थापन आदि के हकदार होंगे, जैसी मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

6. मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का विधान सभा के सदस्य के रूप में वेतन या भत्तों का न लेना.—मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में, इस अधिनियम के अधीन इसके लिए विनिर्दिष्टतः यथा उपबंधित के सिवाय, वेतन या भत्ते के रूप में कोई रकम प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

7. मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति आदि की बाबत अधिसूचना का उसका निश्चायक साक्ष्य होना.—उस तारीख को, जिसको कि कोई व्यक्ति मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक बना है या नहीं रहता है, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी कोई अधिसूचना इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक बना है या नहीं रहता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक ऐसी सचेतक प्रणाली को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सदस्यों की विधान मण्डल के सदन की बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित कराती है। ये सचेतक, सदन में सरकारी कार्य का खाका तैयार करने, उसकी मॉनिटरिंग और प्रबंधन करने सम्बन्धी कुछ अति महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करते हैं। उक्त सचेतकों का अन्य महत्वपूर्ण कार्य, सदन की गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखना तथा सदन में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में सदन के नेता को अवगत करवाना है। मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक सदन के कार्य से सम्बन्धित मामलों पर अन्य दलों के सचेतकों के साथ भी सम्पर्क में रहेंगे।

मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक द्वारा किए जा रहे बहुविध कृत्यों के दृष्टिगत, उनके वेतन एवं भत्तों तथा अन्य प्रसुविधाओं को विनियमित करने के लिए विधि अधिनियमित करने का प्रस्ताव है, क्योंकि वर्तमानतः इस बाबत कोई विधि नहीं है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख :, 2018

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 7 OF 2018

**THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE CHIEF WHIP AND
THE DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE
ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH BILL, 2018**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the salaries, allowances and other benefits of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip of the Majority Party in the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Salaries, Allowances and other Benefits of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Allowances” includes daily allowance, compensatory allowance, sumptuary allowance, conveyance allowance, travelling allowance or any other allowance admissible to a Minister under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000);
- (b) “Chief Whip” in relation to the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh means the Member of the Legislative Assembly who is, for the time being, declared by the majority party to be the Chief Whip of the party forming the Government and recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly;

- (c) “Deputy Chief Whip” in relation to the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh means the Member of the Legislative Assembly who is, for the time being, declared by the majority party to be the Deputy Chief Whip of the party forming the Government and recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly;
- (d) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (e) “Minister” means a Member of the Council of Ministers, by whatever name called;
- (f) “Notification” means notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
- (g) “Section” means a section of this Act;
- (h) “Speaker” means the Speaker of the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh; and
- (i) “State” means the State of Himachal Pradesh.

3. Salary and Allowances.—(1) The Chief Whip shall be entitled to receive a salary and allowances at the same rate as are admissible to a Cabinet Minister of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

(2) The Deputy Chief Whip shall be entitled to receive a salary and allowances at the same rate as are admissible to a Minister of State of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

4. Residence.—(1) The Chief Whip shall be provided with residential facilities or allowances, as the case may be, as are admissible to a Cabinet Minister of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

(2) The Deputy Chief Whip shall be provided with residential facilities or allowances, as the case may be, as are admissible to a Minister of State of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

5. Other benefits.—The Chief Whip and the Deputy Chief Whip shall be entitled to other benefits like free transit by railway or by air, advance of loan for purchase of motor car, House building advance and free installation of telephone etc. as are admissible to a Minister of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

6. The Chief Whip and the Deputy Chief Whip not to draw salary or allowances as a Member of Legislative Assembly.—The Chief Whip and the Deputy Chief Whip shall not be entitled to receive any sum by way of salary or allowances, as a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh except what is specifically provided for under this Act.

7. Notification in respect of appointment etc. of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip to be conclusive evidence thereof.—The date on which any person becomes or ceases to be a Chief Whip or a Deputy Chief Whip shall be published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became or ceased to be a Chief Whip or a Deputy Chief Whip on that date for all the purposes of this Act.